19/3/25 पत्रावली पेश हुई। वादी/वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। न्यायालय समय पर वादी/वकील वादी को कई बार आवाज लगाने पर भी वादी/वकील वादी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः पत्रावली अदम हाजरी/अदम पैरवी खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।